प्रेस नोट
दिनांक 10.06.2024

पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत जनपद के समस्त थानों पर चलाया गया विशेष चेकिंग अभियान–

पैदल गस्त कर बैंक, एटीएम, पेट्रोल पम्प, सर्राफा बाजार, ग्राहक सेवा केन्द्र के आस–पास संदिग्ध अनावश्यक खड़े व्यक्ति व वाहन आदि को किया गया चेक–

गोण्डा। आज दिनांक 10.06.2024 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारियों, थाना/चौकी प्रभारियों के द्वारा अपने–अपने थाना क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत जनपद गोण्डा में सुरक्षा व्यवस्था को
सुदृढ़ बनाए रखने हेतु विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस बल द्वारा गस्त कर बैंक, एटीएम, पेट्रोल पम्प, गैस एजेन्सी, सर्राफा बाजार, ग्राहक सेवा केन्द्रों व उनके आस–पास संदिग्ध अनावश्यक खड़े व्यक्ति/वाहनों की चेकिंग की गयी। भीड़–भाड़ वाले क्षेत्रों में जहां महिलाओं की उपस्थिति अधिक है वहां महिला पुलिस कर्मियों द्वारा पुलिस बल के साथ पेट्रोलिंग की गई।

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 10.06.2024</u>

<u>‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से गैर इरादतन हत्या करने के 02 आरोपी अभियुक्तों को हुई 10 वर्ष का कारावास व रूपए 15,000–15,000/– के अर्थदण्ड की सजा–</u>

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। जिसके फलस्वरूप गैर इरादतन हत्या करने के 02 आरोपी अभियुक्तों को 10 वर्ष का कारावास व रु0 15,000–15,000/– के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।

थाना को0नगर पुलिस द्वारा गैरइरादन हत्या करने के आरोप में 02 आरोपी अभियुक्तों–01. भवानी शंकर, 02. राजेश मिश्रा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता श्री विनय कुमार सिंह, मॉनिटरिंग सेल व थाना को0 नगर के पैरोकार के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम कोर्ट गोण्डा ने 10–10 वर्ष के सश्रम कारावास व रू 15,000–15,000/– के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

<u>अभियुक्तगण का नाम पता–</u>
01. भवानी शंकर पुत्र मुन्ना उर्फ छोटेलाल नि0 खैराखास थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
02. राजेश मिश्रा पुत्र शान्ती प्रसाद मिश्रा नि0 खैराखास थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

<u>पंजीकृत अभियोग–</u>
01. मु0अ0सं0–954/19, धारा 323,504,304 भादवि थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

प्रेस नोट
दिनांक 10.06.2024, मीडिया सेल
जनपद गोण्डा।

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल–26 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

04 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार–

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थाना खरगूपुर पुलिस ने 01, थाना कौड़िया पुलिस ने 01 व थाना को0 कर्नलगंज पुलिस ने 02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

मीडिया सेल, गोण्डा।